

03 शिव - शक्ति ।।

06 स्कॉलिंग बनाम कौशल: डिजिटल युग की चुनौती

08 एनसीपी ओडिशा अध्यक्ष डॉ. राज कुमार यादव की पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा से शिष्टाचार भेंट

दिल्ली परिवहन विभाग को दिल्ली में ई वाहन खरीदने वाले मालिकों को तत्काल प्रभाव से घोषित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए की किस आधार पर घोषित प्रोत्साहन राशि उन्हें नहीं दी जाएगी

संज्ञक बाटला

आपकी जानकारी हेतु कुछ विशेष दिल्ली में ई रिक्शा, ई लोडर और दोपहिया EV खरीदारों को घोषित सब्सिडी मुख्यतः प्रशासनिक देरी, पोर्टल बंद/असक्रिय रहने, बजटस्वीकृति की दिक्कत और नीति के बीच में "लैप्स" हो जाने के कारण समय पर नहीं मिली है। नीति और पोर्टल की स्थिति दिल्ली EV नीति 2020 के तहत ई रिक्शा/ईकार्ट पर 30,000 रुपये तक प्रति वाहन की खरीद प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, जिसके लिए आवेदन डीलर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाना था, सीधे मालिक से नहीं।

यह पोर्टल कई बार तकनीकी कारणों, डेटा समीक्षा, और नई नीति (EV Policy 2.0) तैयार होने के बीच "सस्पेंड/स्लो" मोड में रहा, जिसकी वजह से वर्षों तक सब्सिडी क्लेम लंबित पड़े।

लंबित सब्सिडी और हाईकोर्ट की फटकार 2024-25 के दौरान लगभग 2.19 लाख EV के लिए करीब 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित बताई गई, जिनमें बड़ी संख्या दोपहिया और तीन पहिया (ई रिक्शा/ईलोडर) भी शामिल हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को आदेश देकर कहा कि सरकार "प्रोसीजरल अडचनों" का बहाना बनाकर सब्सिडी देने में देरी नहीं कर सकती और तुरंत लंबित सब्सिडी रिलीज करने के लिए कदम उठाए।

"पोर्टल पर आवेदन नहीं मिला" वाला जवाब हाईकोर्ट को दिए बयानों और नीतिदस्तावेजों से साफ है कि EV सब्सिडी के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी मुख्यतः अधिकृत डीलर पर रखी गई, ताकि उपभोक्ता पर तकनीकी बोझ न पड़े; पोर्टल पर एंटी डीलर आईडी से होती है।



ऐसी स्थिति में अगर विभाग यह कह रहा है कि "आपके वाहन नंबर के लिए कोई आवेदन नहीं मिला", तो दो संभावनाएँ हैं: (1) डीलर ने समय पर आवेदन नहीं किया या गलत तरीके से किया, या (2) पोर्टल/डेटाबेस में गड़बड़ी रही और एंटी ट्रेस नहीं हो रही।

अभी की स्थिति और विभाग की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक "डेडिकेटेड पोर्टल" बना रही है, जिसके जरिये दो साल से लंबित सभी EV सब्सिडी क्लेम की वेरिफिकेशन कर के लगभग 140 करोड़ रुपये की देनदारी क्लियर करने की बात कह रही है।

आधिकारिक बयानों में देरी के लिए कारण बताए गए हैं: कैबिनेट मीटिंग समय पर न होना, EV सेल/कंसल्टेंट टीम की निलंबन, और नीति की समयसीमा खत्म होकर नई नीति के ड्राफ्ट पर काम शुरू होना; मगर यह सारे कारण उपभोक्ताओं के

दृष्टिकोण से विभागीय विफलता ही हैं, क्योंकि नीति में वादा किया गया लाभ समय पर नहीं मिला।

सवालों पर सीधा कानूनी प्रशासनिक जवाब

क्या मालिक को कोई अलग पोर्टल फॉर्म भरना था? EV Policy 2020 के ऑपरेशनल गाइडलाइंस में प्रोसेस ऐसा डिजाइन किया गया कि डीलर ऑनलाइन क्लेम फाइल करे, उपभोक्ता को अलग से पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य शर्त नहीं रखा गया; मालिक से वाहनों/दस्तावेजों का डेटा और बैंक विवरण लेकर डीलर को फीड करना था।

डीलर द्वारा क्लेम न फाइल करने पर मालिक जिम्मेदार कैसे? यदि डीलर अधिकृत है और सरकार ने उसी को नोडल बनाया है, तो क्लेम फाइल न करना या गलती करना डीलर और विभाग दोनों की जवाबदेही बनती है; मालिक से यह कहना कि "आपका आवेदन पोर्टल पर नहीं मिला" पर्याप्त नहीं

है, विभाग को डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

पोर्टल बंद रहने की स्थिति में क्या? यदि आधिकारिक पोर्टल ही महीनों/सालों बंद या फंक्शनल नहीं रहा, तो यह पूर्णतः प्रशासनिक जिम्मेदारी है; ऐसे में खरीदारों को "समय पर आवेदन न करने" का दोष देना तर्कसंगत नहीं है, विशेषकर जब सब्सिडी का प्रावधान नीति में जारी है और सरकार ने नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा भी दिया है।

लेख में जो मुख्य बात कही गई है — "या तो तत्काल प्रभाव से सब्सिडी दी जाए, या स्पष्ट लिखित रूप में बताया जाए कि किस कानूनी/नीतिगत आधार पर नहीं दी जाएगी" — वह हाईकोर्ट के निर्देशों और खुद दिल्ली EV Policy की पारदर्शिता सम्बंधी भावना के बिल्कुल अनुरूप है।

"राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति" द्वारा उपयुक्त दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी द्वारा नागरिक के साथ मारपीट, अधिकारों के दुरुपयोग एवं कानून उल्लंघन के संबंध में एफआईआर / विभागीय कार्रवाई हेतु पत्र लिखकर मांग की

संज्ञक बाटला

राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति की ओर से यह औपचारिक कानूनी शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाल ही में सार्वजनिक स्थान पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी द्वारा एक टैक्सी चालक के साथ बल प्रयोग/मारपीट की गई। उक्त कृत्य कानून, पुलिस आचरण नियमों तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

उपलब्ध वीडियो फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों से यह तथ्य प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि संबंधित ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नागरिक के साथ अमानवीय एवं गैर-कानूनी आचरण किया।

कानूनी स्थिति:

1. उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता (IPC)/BNS के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिनमें प्रमुख रूप से—

१. धारा 323/352 IPC — स्वेच्छा से चोट

पहुँचाना/बल प्रयोग

२. धारा 341 IPC — गलत तरीके से रोकना

३. धारा 166 IPC — लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन

४. परिस्थितियों के अनुसार धारा 506 IPC — आपराधिक धमकी लागू हो सकती है।

2. यह कृत्य दिल्ली पुलिस (Punishment & Appeal) Rules तथा मानवाधिकार मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है।

3. यह सर्वमान्य विधिक सिद्धांत है कि यदि किसी चालक से यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ भी हो, तो उस स्थिति में केवल विधि सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत चालान अथवा कानूनी कार्रवाई का अधिकार है—मारपीट अथवा बल प्रयोग का नहीं।

प्रभाव: इस घटना से न केवल पीड़ित चालक की मानवीय गरिमा को ठेस पहुँची है, बल्कि दिल्ली पुलिस की प्रतिष्ठा, निष्पक्षता तथा कानून के राज

दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर संगठन की तर्फ से विद्याल विरोध प्रदर्शन और दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कौंसिल युनियन/राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति भारत



(Rule of Law) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे आम जनता का विश्वास कमजोर होता है। अतः प्रार्थना है कि:

1. दोषी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल निलंबन कर विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।

2. तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. जांच उपरान्त दोष सिद्ध होने पर कठोरतम विभागीय दंड (बर्खास्तगी सहित) प्रदान किया जाए।

4. पीड़ित नागरिक को सुरक्षा, न्याय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

5. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्पष्ट व प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

यह शिकायत जनहित, ड्राइवर समुदाय के सम्मान एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रस्तुत की जा रही है। आपसे अपेक्षा है कि इस विषय में तत्काल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी।

जय जगन्नाथ जी

जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन यात्रा

(दिल्ली से फ्लाइट द्वारा यात्रा)

यात्रा तिथि: 19 जनवरी से 21 जनवरी

यात्रा कार्यक्रम:

DAY 1 - दिल्ली भुवनेश्वर

(फ्लाइट द्वारा)

होटल में चेक-इन

खंडगिरी एवं उदयगिरी गुफाएं

एलिफंटा / लायन / वीवीन कैम्प

लिंगराज मंदिर

जैन मंदिर

मुक्तेश्वर मंदिर

बिंदुसागर

रात्रि विश्राम - भुवनेश्वर

DAY 2

नाशता

बुद्ध स्तूप

कोणार्क सूर्य मंदिर

चंद्रभागा बीच

रामचंडी मंदिर

पैकेज मूल्य: 25,000 /-

प्रति व्यक्ति

बुकिंग अंतिम तिथि:

15 दिसंबर

संपर्क करें:


9716338127,

9811732094

9212632095

दिल्ली के 30 लाख वाहन मालिकों की बड़ी टेंशन! बगैर PUC सर्टिफिकेट के एक साल से दौड़ा रहे; अब आया नया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद भी बग्गेर पीयूसी (प्रदूषण निवृत्त) प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर सख्ती नहीं की जा रही है। इस मामले में तो सीता-स्वामी के चलते ही अब ऐसा नोबत आ गई है कि बग्गेर पीयूसी सीले वाले वाहनों को डेनियल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। विशेषज्ञों के मानें तो सरकार अगर इसमें सख्ती बढ़ाती तो शायद यह नोबत कभी नहीं आती। जबकि दिल्ली में वाहनों से प्रदूषण होने वाला बाती बात सार्वजनिक तौर पर मानी जा रही है। दिल्ली की स्थिति पर बात करें तो 75 लाख से करीब 80 लाख दिल्ली में दौड़ रहे हैं। ये वे वाहन हैं जिनकी अभी तक PUC नहीं हुई है। इनमें से अभी तक इस साल 45 लाख पीयूसी बनाए गए हैं, जबकि 29 लाख



81 हजार 795 वाहन बग्गेर पीयूसी के दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाती है कि इस साल यानी 2025 में किस तरह पीयूसी प्रमाणपत्र के मामले में लापरवाही बरती गई है। 2025 में अभी तक अब तक साल 2025 समाप्त होने जा रहे हैं और अब केवल 15 दिन इस साल में बचे हैं। अगर पूरे साल को मिलाकर अभी तक 45 लाख 46 हजार 61 पीयूसी ही जारी हुए हैं। जबकि 2024 में 49 लाख 32 हजार 973 पीयूसी प्रमाणपत्र जारी हुए थे। यानी इस साल अभी तक तीन लाख 86 हजार 912 की इस साल कमी रही है। अगर हम मान भी लें कि 15 दिन में पीयूसी की संख्या कुछ बढ़ भी जाएगी, मगर इतनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है कि पिछले साल का आंकड़ा तक पहुंच सकेगी। इससे पहले 2023 में यह संख्या 52 हजार 30 लाख 292 और 2022 में 54 लाख 73 हजार 13 पीयूसी प्रमाणपत्र जारी हुए थे। यह आंकड़े चुनौती कर रहे हैं कि इस स्थिति के लिए परिवहन विभाग के लेकर ये सभी औद्योगिक निम्नोदर हैं जिनके अग्र प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी है। परिवहन विशेषज्ञ व परिवहन विभाग के पूर्व प्रमुख अतिरिक्त अधिकारी कहते हैं कि वाहनों के पीयूसी बनवाने के लिए लगातार सख्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को यह अरसास लेते रहना चाहिए कि अगर वह बग्गेर पीयूसी नहीं बनावाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com | tolwadelhi@gmail.com



पिकी कुडू

सीआई की हालिया जांच में एक विशाल अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसने 1,000 करोड़ से अधिक की रकम को 58 शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाया। ये कंपनियाँ निर्यात भारतीय नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग करके बनाई गई थीं। एक शेल कंपनी के खाते में ही 152 करोड़ बहुत कम समय में जमा हुए — यह दिखाता है कि साइबर अपराधी कितनी तेजी से काम करते हैं। यह नेटवर्क चार विदेशी हैंडलस — Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu और Guanhua Wang — द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उन्होंने भारतीय सहयोगियों को पहचान दस्तावेज जुटाने, कंपनियाँ बनाने और बैंक खाते खोलने के निर्देश दिए। दो भारतीय

आज का साइबर सुरक्षा विचार

साइबर अपराध की तुरंत रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है?

आरोपियों से जुड़े एक UPI ID को अगर 2025 तक विदेशी लोकेशन से सक्रिय पाया गया, जो इस पूरे फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर विदेशी नियंत्रण और रियल टाइम निगरानी को साबित करता है। साइबर फ्रॉड से प्राप्त धन को कई खातों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेयर किया गया ताकि मनी ट्रेल छिपाई जा सके और अंतिम लाभार्थियों की पहचान न हो सके। सीबीआई ने अब 17 व्यक्तियों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन यह मामला नागरिकों और संस्थानों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख छोड़ता है। साइबर अपराध की तुरंत रिपोर्टिंग क्यों महत्वपूर्ण है? 1. समय पर रिपोर्टिंग से ठगी का पैसा siphon होने से बचना है साइबर अपराधी गति पर निर्भर होते हैं। इस केस में 152 करोड़ एक ही खाते से पलक झपकते ही गुजर गए। यदि पीड़ित तुरंत रिपोर्ट करते हैं: * बैंक पैसे निकलने से पहले खातों को फ्रीज कर सकते हैं * पेमेंट इंटरमीडियरी



UPI/IMPS ट्रांज़ेक्शन रियल टाइम में रोक सकते हैं * LEAs राज्यों में फंड होल्ड एडवाइज़री जारी कर सकते हैं * हर मिनिट मायने रखता है * देरी होने पर अपराधी लेवैरिंग पूरी कर लेते हैं और पैसा विदेश भेज देते हैं। 2. समय रहते अलर्ट मिलने से चल रहे हमलों को रोक जा सकता है यह नेटवर्क निष्क्रिय नहीं था — यह सक्रिय और लगातार फैल रहा था, और विदेशी हैंडलस से ही UPIIDs ऑपरेट कर रहे थे। तुरंत रिपोर्टिंग से LEAs को मदद मिलती है: * कई शिकायतों में पैरेंट पहचानने में * फर्जी UPI IDs, म्यूल अकाउंट्स और शेल कंपनियों को ब्लॉक करने में * नए पीड़ितों को बचाने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी करने में * प्रारंभिक शिकायतें ट्रिपवायर की तरह काम करती हैं, जो सक्रिय फ्रॉड चैनल को उजागर कर देती हैं। 3. समय पर रिपोर्टिंग से LEAs पूरे साइबर अपराध मॉड्यूल को तोड़ पाते हैं यह केस एक संगठित और बहु स्तरीय नेटवर्क दिखाता है: * विदेशी मास्टरमाइंड * भारतीय दस्तावेज संग्राहक

* शेल कंपनियाँ * म्यूल अकाउंट्स * बहु स्तरीय मनी मूवमेंट * तुरंत रिपोर्टिंग से जांच एजेंसियों को समय का लाभ मिलता है: * पहले बिंदु पर हुए समझौते को ट्रेस करने में * मनी ट्रेल गायब होने से पहले मैप करने में * म्यूल नेटवर्क की पहचान करने में * विदेशी एजेंसियों से समन्वय करने में * डिजिटल एसेट्स और कानूनी कानून चैनल को फ्रीज करने में * देरी होने पर ऐसे नेटवर्क अदृश्य बन जाते हैं और तेजी से फैलते जाते हैं। 4. समय पर रिपोर्टिंग से देश की साइबर रजिस्ट्रार मजबूत होती है हर शिकायत एक डेटा पॉइंट बनती है, जो LEAs को मदद करती है: * नए फ्रॉड पैटर्न पहचानने में * दोहराए जाने वाले UPIIDs, डोमेन्स और म्यूल अकाउंट्स पकड़ने में * प्रोडिक्टिव मॉडल बनाने में * साइबर हाइजीन कैम्पेन मजबूत करने में * जितनी जल्दी नागरिक रिपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी एजेंसियाँ प्रतिक्रिया दे पाएंगी। निष्कर्ष: समय पर रिपोर्टिंग साइबर अपराध के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार है, यह 1,000 करोड़ का केस दिखाता है कि साइबर अपराधी गति, गुमनामी और सीमा पार नियंत्रण का कैसे फायदा उठाते हैं। लेकिन यह भी साबित करता है कि समय पर रिपोर्टिंग से LEAs: * पैसा वापस ला सकते हैं * चल रहे फ्रॉड को रोक सकते हैं * छिपे नेटवर्क उजागर कर सकते हैं * भविष्य के पीड़ितों को बचा सकते हैं * राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं * साइबर अपराध खामोशी में पनपता है। समय पर रिपोर्टिंग उस खामोशी को तोड़ती है — और अपराधियों के बिजनेस मॉडल को भी।

हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। संस्कृति और संस्कार दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संस्कृति: संस्कृति हमारे समाज की पहचान है, जिसमें हमारी परंपराएँ, रीतियाँ, और मूल्य शामिल हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें एक साझा पहचान देती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, और कैसे दूसरों के साथ संबंध बनाना है। संस्कार: संस्कार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर किए जाने वाले आध्यात्मिक और सामाजिक कृत्य हैं। ये हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को महत्व देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाया चाहिए।

बनाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। संस्कार हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, कैसे दूसरों की सेवा करनी है, और कैसे अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है। हमारी संस्कृति और संस्कार हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को महत्व देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाया चाहिए।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

“दिखने में स्वस्थ, पर भीतर से कमजोर” आधुनिक जीवनशैली के बीच बच्चों के छिपे स्वास्थ्य खतरे

हाल ही में अहमदाबाद शहर के एक पोश क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित हार्डिंग सोसायटी में दीपावली अवकाश के दौरान सोसायटी द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया। इस जांच से जो तथ्य सामने आए, वह ना ही केवल चौंकाने वाले थे, बल्कि गहरी चिंता उत्पन्न करने वाले भी थे।

पहली नजर में अधिकांश बच्चे पूर्णतः स्वस्थ दिखाई दे रहे थे—

1. ऊर्जावान
2. खेलकूद में सक्रिय
3. सामान्य व्यवहार और दिनचर्या वाले पर जब प्रयोगशाला के जांच रिपोर्ट्स सामने आईं, तो वास्तविकता बिल्कुल भिन्न थी। जांच में पाए गए प्रमुख असामान्य निष्कर्ष

1. आयरन (Iron) की कमी
2. प्रोटीन का कम स्तर
3. विटामिन D3 की कमी
4. विटामिन B12 की कमी
5. खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का बढ़ा हुआ स्तर
6. ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर यह बदलाव साधारण नहीं हैं, शरीर के भीतर चल रहे मौन पोषण-अभाव (Silent Nutritional

Deficiencies) और प्रारंभिक चयापचय असंतुलन (Metabolic Imbalance) का संकेत देते हैं, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव बच्चों की वृद्धि, रोग-प्रतिरोधक क्षमता, बौद्धिक विकास तथा हृदय स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

स्वस्थ दिखना हमेशा स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं बच्चों का शरीर अद्भुत रूप से स्वयं को समायोजित कर लेता है। वे बाहर से:

1. फुर्तीले दिखते हैं
2. जल्दी थकते नहीं
3. सामान्य गतिविधियाँ करते रहते हैं लेकिन इसी कारण पोषण की कमी और चयापचय तनाव लंबे समय तक छिपा रह सकता है — जब तक कि स्पष्ट लक्षण सामने न आ जाएं। आधुनिक बाल-स्वास्थ्य विज्ञान में इसे एक गंभीर और उपरती हुई समस्या माना जा रहा है।

मूल कारण: आधुनिक खान-पान और जीवनशैली। पोषण विज्ञान के अनुसार, इन असामान्यताओं के प्रमुख कारण हैं:

1. फास्ट फूड वर्ग, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज जैसे खाद्य पदार्थ- रिफाईंड कार्बोहाइड्रेट और अस्वस्थ वसा से भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्वों में अत्यंत गरीब सृजन और वजन असंतुलन को बढ़ावा देते हैं

2. जंक फूड अधिक नमक, चीनी और कृत्रिम स्वाद वाले स्नेक्स- पोषण रहित खाली कैलोरी पौष्टिक भोजन की जगह ले लेते हैं

3. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्नेक्स- पैकेट वाले चिप्स, बिस्किट, मोठे सीरियल और रेडी-टू-ईट भोजन- अत्यधिक आकर्षक और आदत डालने वाले, चीनी और अस्वस्थ वसा से भरपूर आवश्यक विटामिन व खनिजों का अभाव

4. कोल्ड ड्रिंक्स और मोठे पेय शक्कर से भरपूर पेय पदार्थ-

1. रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं,
2. ट्राइग्लिसराइड्स और मोटापा बढ़ाते हैं

3. पौष्टिक भोजन की भूख कम करते हैं शरीर जीवन में ये आदतें आम होती जा रही हैं, जो चीजे बच्चों के लिए “ट्रीट” मानी जाती हैं, वे वास्तव में उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं।

यह कमियाँ और असामान्यताएँ क्यों गंभीर हैं?

1. आयरन की कमी
1. शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है
2. ध्यान, स्मरण शक्ति और ऊर्जा घटती है



एनीमिया और संक्रमण का खतरा बढ़ता है

1. प्रोटीन की कमी
1. वृद्धि और ऊतक मरम्मत बाधित होती है
2. मांसपेशियाँ और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ता है
3. विटामिन D3 की कमी
1. हड्डियाँ कमजोर होती हैं
2. संक्रमण की संभावना बढ़ती है

मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है

1. विटामिन B12 की कमी
1. रक्ताल्पता
2. तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव
1. थकान और कमजोरी
5. बढ़ा हुआ LDL और ट्राइग्लिसराइड्स
1. हृदय रोग का प्रारंभिक जोखिम
2. मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम से

संबंध

जो समस्याएँ पहले केवल वयस्कों में देखी जाती थीं, वे अब बच्चों में दिखाई देने लगी हैं — यह एक गंभीर चेतावनी है, बाल पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवीन दृष्टिकोण

1. “हिडन हंगर” की बढ़ती पहचान आज कई बच्चे पर्याप्त कैलोरी लेते हैं, फिर भी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से वंचित रहते हैं—इसे Hidden Hunger कहा जाता है।

2. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन और दीर्घकालिक रोग शोध बताते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों में:

1. मोटापा
2. इंसुलिन रजिस्ट्रेंस
3. कोलेस्ट्रॉल असंतुलन
4. शरीर में सूजन बढ़ाते हैं।
3. गुणवत्ता- आधारित आहार पर जोर, आधुनिक दिशा निर्देश कहते हैं:
1. प्रोसेस्ड भोजन के बजाय संपूर्ण भोजन,
2. फल, सब्जियाँ, दालें, साबुत अनाज, और पर्याप्त प्रोटीन
3. अतिरिक्त चीनी और अस्वस्थ वसा से परहेज
4. प्रारंभिक रोकथाम = स्वस्थ भविष्य

ही बचपन का पोषण तय करता है:

1. शारीरिक और मानसिक विकास
2. मजबूत हड्डियाँ
3. कैलोरी नहीं, भोजन और मधुमेह का जोखिम

माता-पिता और समाज के लिए स्पष्ट संदेश

1. केवल बाहरी स्वस्थ दिखावट पर न जाएं
2. बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक है
3. कैलोरी नहीं, भोजन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है
4. फास्ट फूड, जंक फूड और मोठे पेय सीमित करें
5. पोषण की कमी का समय रहते समय उपचार करें

एक सरल और सशक्त संदेश

> अच्छा पोषण ही आज के स्वास्थ्य और कल के सुरक्षित भविष्य की नींव है। बच्चे भले ही देखने में स्वस्थ लगें, लेकिन यदि उनका आहार वास्तविक विकास और संतुलित चयापचय को समर्थन नहीं देता, तो भीतर ही भीतर गंभीर समस्याएँ पनप सकती हैं।

आज की जागरूकता ही कल के स्वस्थ भारत की कुंजी है।


आयरन, शरीर की हर कोशिका को चलाने वाला ईंधन

मानव शरीर में आयरन वह खनिज है जो “ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम” को चलाता है। यही वह तत्व है जो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे खून शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयुर्वेद में इसे धातु पोषक तत्व कहा गया है — यह रक्त, मांस, और ओज को मजबूत करता है। वैज्ञानिक भाषा में, आयरन एंजाइमों, मेटाबोलिज्म और ऊर्जा उत्पादन का अभिन्न हिस्सा है।

आयरन की कमी (Iron Deficiency) — चुपचाप बढ़ता खतरा- भारत में आयरन की कमी सबसे आम पोषण समस्याओं में से एक है। इसकी कमी शरीर पर कई स्तरों पर असर डालती है

1. लगातार थकान और कमजोरी क्योंकि खून कम ऑक्सीजन ले जा पाता है।
2. चक्कर आना और सांस फूलना कम आयरन से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
3. बाल झड़ना, नाखून टूटना व त्वचा का फीका पड़ना क्योंकि आयरन सेल ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाता है।
4. ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, ब्रेन फॉग क्योंकि दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
5. महिलाओं में पीरियड्स अधिक भारी होना और एनीमिया क्योंकि महिलाओं में आयरन की कमी पुरुषों से तीन गुना अधिक देखी जाती है।
6. गर्भवती महिलाओं में बच्चे के विकास पर असर क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से कम्प्लीकेशन्स बढ़ सकती हैं।

शरीर को रोज कितना आयरन चाहिए? (Daily Iron Requirement) वैज्ञानिक



मानकों के अनुसार पुरुष 10 mg प्रतिदिन, महिलाएं (सामान्य) 12-15 mg प्रतिदिन, गर्भवती महिलाएं 27 mg प्रतिदिन और बच्चे 7-10 mg प्रतिदिन। महिलाओं में आयरन की आवश्यकता अधिक है क्योंकि हर माह रक्त की हानि होती है।

आयरन कैसे अच्छे से अवशोषित होता है? (Fact-Based Tips) आयरन तभी शरीर में सही तरह से अवशोषित होता है जब

1. भोजन के साथ विटामिन C लिया जाए (नींबू, आंवला, संतरा)।
2. चाय/कॉफी भोजन के 30-45 मिनट बाद पिएं—ये आयरन अवशोषण 50% तक कम कर देते हैं।
3. कच्चे सलाद, सब्जियाँ और मिलेट्स को नियमित शामिल करें। सबसे असरदार Iron-Rich Foods (Proven & Fact-Based) यह वह खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आयरन की कमी प्राकृतिक रूप से तेजी से पूरी होती है।

(Sesame Seeds) भोजन में आयरन से भरपूर और ब्लड-बूस्टिंग गुणों वाला कॉम्बिनेशन। कैसे ले- दोपहर के बाद एक चम्मच तिल + छोटा टुकड़ा गुड़।

2. हरी पत्तेदार सब्जियाँ (Spinach, Bathua, Sarson) इनमें नॉन-हीम आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, टिप:- नींबू निचोड़कर खाएं, अवशोषण 3 गुना बढ़ जाता है।

3. अनार, चुकंदर और गाजर का जूस प्राकृतिक ब्लड प्यूरिफायर + आयरन बूस्टर। कैसे ले- नाश्ते से पहले 150 ml।

4. बाजरा (Millet) — खासकर रागी व कुटकी इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा अत्यधिक है। कैसे ले- बाजरे की रोटी + घी + गुड़ = सुपर आयरन मील।

5. मसूर दाल और चना दाल शाकाहारियों के लिए आयरन का सर्वोत्तम स्रोत। टिप:- रात में भिगोकर खाना सबसे प्रभावी तरीका।

6. मूंगफली और कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) दोनों में

हेम-इन्हैंसिंग मिनरल्स मौजूद। कैसे ले- शाम को एक मुट्ठी।

7. आंवला — विटामिन C का राजा आयरन अवशोषण को 4 गुना तक बढ़ा देता है। कैसे ले- सुबह 1 चम्मच आंवला पाउडर गर्म पानी के साथ।

8. खजूर और किशमिश बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। कैसे ले- रात में 5-7 बीगो किशमिश + 1 खजूर।

आयरन की कमी दूर करने का आयुर्वेदिक नियम (Proven Fact):- “भोजन में धातु-पीपल — गर्माहट + रसयुक्तता + विटामिन C”, यह तीन तत्व आयरन अवशोषण को सबसे अधिक बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष:- आयरन सिर्फ खून बढ़ाने की चीज नहीं—यह शरीर और दिमाग को ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता, त्वचा, बाल और हार्मोनल स्वास्थ्य को संभालने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। सही मात्रा में आयरन + उससे जुड़े अवशोषण के नियम अपनाकर आप एनीमिया और थकावट की समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।

अस्थमा / दमा के इलाज के घरेलू उपचार

अस्थमा / दमा एक जलन पैदा करने वाली बीमारी है जो फेफड़ों और सांस लेने के रास्तों को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में सांस लेने के समय एक सीटी जैसी आवाज आती है और छाती का सख्त होना भी दमे के लक्षणों में से एक है। इस स्थिति में सुबह और शाम के समय खांसी की समस्या बढ़ जाती है। इसमें उष्ण की कोई खांसी नहीं होती और यह किसी को भी हो सकता है पर आमतौर पर ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है।

अस्थमा / दमा होने के कारण (asthma causes) :- दमा होने का मुख्य कारण मांसपेशियों में सिक्कुडन होना है। क्योंकि यह मांसपेशियाँ हमारी श्वास नली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं, अतः इनके सिक्कुडन से विपरीत प्रभाव होते हैं। यह मांसपेशियाँ नसों द्वारा संश्लित होती हैं और इनकी वजह से नसों के द्वारा श्वास नली सिक्कोड जाती है।

अस्थमा को खत्म करने के घरेलू उपाय:- अस्थमा को दमा के नाम से भी



जाना जाता है, इसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलने लगती है, इस प्रदूषण भरे माहौल में क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे सभी को इस रोग ने अपने चपेट में ले लिया है, कुछ लोग दमा का इलाज करने के लिए एलोपैथिक और कुछ होम्योपैथिक दवा लेते हैं।

यहाँ जानिए किचन में मौजूद कुछ मसालों से ही अस्थमा के खतरों को कम किया जा सकता है:-

1. मेथी को पानी में उबालकर इसमें शहद और अदरक का रस मिलाकर रोजाना पीएं, इससे अस्थमा की समस्या

से राहत मिलेगी।

2. चम्मच आंवला पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं, रोजाना इसका सेवन करने से अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है।
3. पालक और गाजर के रस को मिलाकर रोजाना पीने से भी अस्थमा की समस्या दूर होती है।
4. बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को सामान मात्रा में पीसकर शहद से साथ खाएं, इसका सेवन अस्थमा के साथ पुरानी खांसी को भी दूर करता है।
5. सोठ, सेंधा नमक, जीरा, धुनी हुई होंग और तुलसी के पत्तों को पीसकर पानी

में उबाल लें, इसे पीने से अस्थमा की समस्या दूर होगी

6. तेजपत्ता और पीपल के पत्तों को 2 ग्राम मात्रा में पीसकर सुबह की चाशनी से खाएं, रोजाना इसे खाने से अस्थमा कुछ समय में ही गायब हो जाएगा।

7. सूखी अंजीर के 4 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट इसे पीसकर खाने से अस्थमा के साथ कब्ब भी दूर हो जाएगा।

लक्षण, खांसी विशेष रूप से रात के समय

1. सांस लेते वकत होना घरघराहट,
2. सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज निकलना,
3. सांस की तकलीफ और छाती में जकड़न महसूस होना,
4. थकावट-थकान का एहसास होना,
5. संक्रामक जुखाम और फेफड़ों की सूजन होना,
6. किसी भी प्रकार के रासायनिक धुआँ, गंध के प्रति संवेदनशीलता,
7. जोर से हँसने पर चिल्लाने पर सांस लेने की रफ्तार बढ़ना।

कद लंबा करे / हाइट बढ़ाये

अश्वगंधा, चंद्रसूर दोनों को आयुर्वेद में शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जड़ी भूती माना गया है।

1. 100 ग्राम सूखी नागौरी अश्वगंधा,
2. चंद्रसूर 125 ग्राम हलंग, हालों या चंद्रसूर जो एक ही चीज के नाम है।
3. 100 ग्राम देशी चीनी।

खीर बनाने की विधि:- सूखी नागौरी अश्वगंधा को बारीक कूट-पीस लें। चंद्रसूर को साफ करके गाय के 1kg दूध में हलकी आंच पर पका ले जब प्रेशर कूकर की एक सीटी बज जाए तब उतार कर ढक कर थोड़ा सेक लगावा दें। यह खीर हर रोज रात को सोते समय खाएं व लगातार 45-60 दिन इस्तेमाल करके नतीजा खुद देख लें।

नुस्खा 2:- काले तिल और अश्वगंधा का यह योग नियमित रूप से सेवन करने पर हाइट बढ़ने लगती है।

1. अश्वगंधा चूर्ण 20 ग्राम।
2. काले तिल 20 ग्राम।
3. खजूर 10 ग्राम।
4. गाय का घी 5 ग्राम।

बनाने की विधि:- 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 1 से 2 ग्राम काले तिल को पीसकर चूर्ण बना लें।



ऐसे करें सेवन:- इस चूर्ण को 3 से 5 खजूर में मिलाकर 5 से 20 ग्राम गाय के घी में एक महीने तक खाने से लाभ होता है।

नुस्खा 3:- केवल अश्वगंधा का पाउडर लेने से भी कद बढ़ने लगता है।

1. नागौरी अश्वगंधा
2. चीनी
3. दूध

बनाने की विधि:- थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा की जड़ लेकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर रख लें।

ऐसे करें सेवन:- इस मिश्रण को 2 चम्मच मात्रा में एक गिलास दूध में डालकर पिएं। रात को सोने से पहले 60 दिनों तक इस योग का सेवन करने से शरीर सुडौल बनता है और कद बढ़ जाता है।

परहेज:- बजार की बनी वस्तुएँ, इमली की व आम्र की खाई, तेज मिर्च मसाले, तली व

चटपटी बाजारी चीजों का सेवन बिल्कुल बन्द कर दें। कोई भी खाई न खाएं।

विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य:-

1. इन दवाओं के साथ गाय के दूध पीना अनिवार्य है।
2. जिन लोगों का कद नहीं बढ़ रहा हो उन्हें रोज ताड़ आसन और भुजंगासन जितना संभव हो जरूर करना चाहिए।

ताड़ आसन करने की विधि ताड़ आसन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। हाथ उठाकर सांस अंदर लें। अपने पैर के पंजों पर कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को मिलाएं और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। कुछ देर उसी अवस्था में रहें। फिर सांस बाहर छोड़ें और दोनों पैर के पंजों को सामान्य अवस्था में ले आएं। यह क्रिया 10 से 15 बार करें।

आप कंधे भी उठाएं। हथेलियों पर थोड़ा दबाव रखते हुए छाती और नाभि तक का भार उठाएं। हर स्थिति में नाभि को जमीन से 30 सेमीटर ही ऊपर उठाना चाहिए। ज्यादा नहीं, अन्यथा कमर भी उठ जाएगा। इस स्थिति में कोहनी सीधी नहीं होगी। इसके बाद आकाश की ओर देखें। इस अवस्था में सांस रोके। कमरे के निचले भाग पर खिंचाव आएगा, जिसे आप महसूस कर पाएंगे। इस स्थिति में 3-4 सेकंड तक रहें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। इसके साथ ही अपने डाइट चार्ट में ज्यादा से ज्यादा फल और मेवे शामिल करें। कद बढ़ने लगेगा।

इन सहायक सप्लीमेंट पर भी ध्यान देकर जल्दी लाभ पा सकते हैं

1. कैल्शियम- कैल्शियम शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम हमें दूध, चीज, दही आदि में मिलता है। ऊंचा लंबा कद पाने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है।
2. मिनरल- खनिज हड्डी के ऊतकों का निर्माण करता है। ये हड्डी के विकास और शरीर में रक्त के प्रवाह में सुधार करते हैं। अगर आपको अपनी लंबाई बढ़ाने हैं तो खनिज से भरपूर तत्वों का इस्तेमाल करें। यह पालक, हरी बीन्स, फलियाँ, ब्रोकली, गोभी, कद्दू, गाजर, दाल, मूंगफली, केले, अंगूर और आड़ू में पाया जाता है।

खजूर, असली या नकली पहचानने का तरीका

खजूर का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, विशेषकर सर्दियों में, जब इसकी गर्म तासीर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बाजार में खजूर की भरपूर उपलब्धता के बावजूद, असली और नकली खजूर की पहचान करना आवश्यक है। नकली खजूर का सेवन आपके और आपके परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्दियों में गर्म दूध के साथ खजूर का सेवन करना आम है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसलिए, खजूर खरीदते समय उनकी असलियत को पहचानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं असली और नकली खजूर की पहचान के कुछ सरल तरीके।

केमिकल पॉलिश वाले खजूर की पहचान

खजूर का स्वाद: खजूर खरीदने से पहले इसका स्वाद चखना न भूलें। यदि खजूर मीठा न लगे और उसका छिलका सख्त हो, तो यह नकली हो सकता है। असली खजूर



में प्राकृतिक मिठास होती है और इसका छिलका नरम होता है। खजूर की झुर्रियाँ और बनावट: असली खजूर में हल्की झुर्रियाँ होती हैं, जबकि नकली खजूर चिकने और गीले होते हैं।

पानी से टेस्ट: एक बर्तन में पानी भरकर उसमें खजूर डालें। यदि पानी में रंग घुलता है, तो वह खजूर नकली है। असली खजूर पानी में रंग नहीं छोड़ता। खजूर के रंग से पहचानें: असली खजूर का छिलका हल्का या गहरा भूरा होता है, जबकि नकली खजूर

का छिलका चमकदार और गहरा ब्राउन होता है। खूकर चेक करें: असली खजूर हल्के नरम और सूखे होते हैं, जबकि नकली खजूर चिपचिपे और गीले होते हैं।

गंध सूंघें: असली खजूर में हल्की मीठी खुशबू होती है, जबकि नकली खजूर में केमिकल की तेज महक होती है। पानी से टेस्ट: एक बर्तन में पानी भरकर उसमें खजूर डालें। यदि पानी में रंग घुलता है, तो वह खजूर नकली है। असली खजूर पानी में रंग

नहीं छोड़ता। खजूर के रंग से पहचानें: असली खजूर का छिलका हल्का या गहरा भूरा होता है, जबकि नकली खजूर का छिलका चमकदार और गहरा ब्राउन होता है।

खूकर चेक करें: असली खजूर हल्के नरम और सूखे होते हैं, जबकि नकली खजूर चिपचिपे और गीले होते हैं। गंध सूंघें: असली खजूर में हल्की मीठी खुशबू होती है, जबकि नकली खजूर में केमिकल की खुशबू।



मरने के बाद मृतात्मा कहाँ जाती है?

साथ लेकर निकलता है।

श्राद्ध का मुख्य सम्बन्ध चन्द्रलोक गति के साथ ही है, क्योंकि श्राद्ध के भोक्ता पितर हैं जो चन्द्रलोक में ही रहते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि आवागमन की प्रक्रिया में संसार के प्रत्येक पदार्थ में क्षीणता आती है। आपने सुबह भोजन किया, क्षीणता आई, रात को पुनः भूख लग आई। पौधे में आज पानी डाला और क्षीणता के कारण कल पुनः डालना पड़ा। और गहराई से समझें तो रदरफोर्ड ने एक एटम का एक मॉडल दिया था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर बेहद तीव्र गति से घूमता है, पर उस थ्योरी में एक दोष था कि प्लैक मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास आवश्यक रूप से acceleration (आवागमन का कारक) है जिसके कारण वो निरन्तर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियेशन का स्कंदन (यही स्कंदन क्षीणता है) करेगा जिससे अंततः इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, और विस्फोट होगा जो कि स्थायित्व होने के लिए असम्भव है।

हम आप अपनी क्षीणता की पूर्ति में समर्थ हैं किन्तु मृतात्मा जो लोकान्तर में जा रहे हैं, उनके वाहिक सूक्ष्म शरीर में जो क्षीणता आती है, उनकी पूर्ति करने की शक्ति उनमें नहीं होती। उसकी पूर्ति ही हम श्राद्ध द्वारा किया करते हैं। अगर हम श्राद्ध न करें तो क्या होगा ? वेद के अनुसार, मन चंद्रमा का और बुद्धि सूर्य के अंश हैं। अतः इन पर चन्द्रमा और सूर्य का आकर्षण हो सकता है, पर वायु पर उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता। यदि सूर्याभिमुख व चंद्राभिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई, तो वे उन लोकों में न जाकर वायु में ही भ्रमण करते रहेंगे। वायवीन शरीर प्रेत-पिशाचदि का होता है, अतः वे भी प्रेत-पिशाच यौनि में ही माने जायेंगे। इसी कारण सनातन धर्म के अनुयायियों में प्रसिद्ध है कि -

“अमुक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं हुआ, वह तो वायु में उड़ता फिरता है।”

इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए वेद पुत्रों को आदेश देते हैं कि -

“जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, उस



समय माता पिता ने ही अपने अंशों से तुम्हारा शरीर बनाया था, आज वे माता-पिता शरीर रहित होते जा रहे हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उनका शरीर बनाओ। इसी वेदाज्ञा के अनुसार चावल आदि के पिण्डों में से सोम (सोम ही धर्म के अनुयायियों में प्रसिद्ध है कि -

तपस्वी, संन्यासी आदि देवयान मार्ग से जाते हैं, उन्हें सोम द्वारा इश शरीर की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, वे तो स्वयं अग्निरूप हैं, उन पर सूर्य के आकर्षण को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए संन्यासियों के गात्र- पिंड नहीं किए जाते।

जिनके यहाँ से पितरों को अर्घ्य-कव्य मिलता है, उनके पितर तृप्त होकर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद कल्याणप्रद होता है। जो श्राद्ध नहीं करते उनके पितर अतृप्त होकर 'धिवक्कर' का निःश्वास छोड़कर जाते हैं।

मंगलवार के टोटके विशेष फल

पिंकी कुंडू

मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देवता की विशेष पूजा का दिन है। जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने वाले यह टोटके मंगलवार को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस युग में हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है।

1. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा महाने में किसी भी एक मंगलवार को करने से आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।

2. साल में एक बार किसी भी मंगलवार को अपने खून का दान करने से आप हमेशा के लिए दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।

3. ३० क्रांती क्रों से: भोगाय नमः मंत्र का एक माला जाप मंगलवार को करना शुभ होता है।

4. 5 देसी घी के रोट का भोग मंगलवार को लगाने से दुश्मनों से मुक्ति मिलती है।

5. व्यापार में वृद्धि के लिए मंगलवार को सिंदूरी रंग का लंगोटा



हनुमान जी को पहनाइए।

6. मंदिर की छत पर लगाईए लाल झंडा और आकरिष्मक संकटों से मुक्ति पाइए।

7. तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड, रामायण, रामरक्षा स्त्रोत्र का पाठ करें।

भौतिकवादी विचार के अनुसार स्त्री पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध के कारण बच्चे का जन्म होता है -- यह आधुनिक बायोलॉजी की मान्यता है,

पिंकी कुंडू

इस गणित का गीता में "आसुरी" ध्वनि कस गया है। इस आसुरी विचार के कारण ही इस शास्त्र में "आनुवांशिकी" कहा जाता है, क्योंकि इस गणित के अनुसार मनुष्य को सारे जैनेटिक गुण-अणुओं अपने नॉ-बाप के द्वारा ही मिलते हैं।

किन्तु वैदिक विचारधारा के अनुसार बच्चा अपने पूर्वजों के फलस्वरूप जन्म लेता है। अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद ही वह पुनः जन्म लेता है। जिस कारण भ्रम होता है कि नॉ-बाप के गुणसूत्र ही बच्चे की जैनेटिक प्रणाली के नियंत्रण हैं। नॉ-बाप के गुणसूत्र निर्जिव अणु-समूह हैं, आत्मा निकल जाय तो मिट्टी है। वे अज्ञान-जगत बच्चे को क्या बनायेंगे। वे केवल सूक्ष्मजीवों की आणविक पुनरुत्पत्ति हैं, वे "जीव" नहीं हैं।

जीव है निरकार निर्भ्रम शूद्र-वैतव्य आत्मा का प्रकृति के साथ बद्ध स्वरूप, जिसमें जीव अपने वास्तविक आत्मा को भूलकर धित के पटल पर प्रकृति के अदृश्य दो प्रकार के हैं, एक प्रकार में वे ही मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहते हैं और दूसरा मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है और नया जन्म लेने पर पुनः प्राप्त होता है। इस बद्ध भाग के दो अनुभाग हैं, भौतिक शरीर और आत्मा। भौतिक शरीर, जिसका जीविकाना अध्ययन करता है, और आत्मा जीविकाना (स्वयं रस गन्ध रसार्थ शब्द) जो भौतिक पदार्थों के ही गुण हैं (शरीर पञ्चतन्मयों के विषय में)।

किन्तु जीव की प्रकृति का दूसरा भाग है "कारण-शरीर" जो 13 करणों से बना है और अनादि काल से लेकर योगमिलने तक जीव के साथ सदैव जुड़ा रहता है। "कारण-शरीर" के करणों में ही सारे संस्कार और इच्छाएँ भी लुप्त रहते हैं जो बाह्यजन्म और शरीर कल्याण हैं। जीव स्वयं सार में आता है तो अपने सारे आनुवांशिक लक्षणों को "कारण-शरीर" में साथ लेकर आता है अतः "कारण-शरीर" के अनुरूप ही डीएनए की भी बनावट होती है, अतः "कारण-शरीर" को डीएनए की तरह आणविक संरचना नहीं कस जा सकता, "कारण-शरीर" तो भौतिक है, उसे भौतिक कर्मों या इच्छाओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। जैसे "मन" को देखना सम्भव नहीं किन्तु प्रभावों के अध्ययन द्वारा इसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं, वैसे ही "कारण-शरीर" का भी अध्ययन हो सकता है।

आधुनिक काल में "मन" का जो पारयाय अर्थ पढ़ाया जाता है वह भारतीय वाक्य का "चित्त" या "कारण-शरीर" है, "मन" तो "मांड" के 13 अर्थों में से एक है। सोच में एक और महत्वपूर्ण अर्थ है, पारयाय वैज्ञानिक गणित से भौतिक गणितों की इस गणित पर आधारित है कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, मरने के साथ ही मांड ही मर जाता है। कर्मफल के सिद्धांत को केवल भारतीय दर्शन मानते हैं। कोई जीव अपने कर्मों का स्वयं फल मने यह ब्यायसंगत भी है। अतः कर्मफल से मुक्ति पाने के लिए भारतीय धर्म किसी पैगम्बर या राम रक्षम या पादरी के कदमों पर लोटना नहीं सिखाता।

मिनको वैदिक कर्मकाण्ड केवल ब्राह्मणों के आडम्बर लम्बे दे वे गीता के "भक्ति मार्ग" का सहरा ले सकते हैं जो ब्राह्मण से चम्पल तक सभी के लिए समान रूप से खुला है। पुनर्जन्म के दो प्रमाण हैं, तपस्या द्वारा मृतात्मा का दर्शन पाने की सिद्धि अर्जित करना, जो मिल जाने पर भी दूसरों को प्रमाणिक नहीं लगेगी। अतः दूसरा प्रमाण ही सबके लिए प्रमाणिक हो सकता है, बशर्त पूर्वजों से मुक्त होकर जीव की सका - श्रौतिय, कर्मफल, परातोक, आत्मा का पुनर्जन्म, आदि का प्रमाण केवल श्रौतिय ही दे सकता है जिस कारण इसे वेद की श्रौतिय कहा गया है। जन्मकुण्डली भौतिक को प्रमाणित करती है, किन्तु पिछले कर्मफलों से बनती है, और जन्मकुण्डली के अनुसार ही डीएनए सक्रीय होता है। जन्मकुण्डली में जो बातें सक्रीय नहीं हैं वे डीएनए में भी निष्क्रिय रहती हैं।

इस ईश्वर में श्रौतिय को काला जादू करकर प्रतिबन्धित किया गया है जिसका प्रभाव ईसाइयों के आधुनिक विज्ञान पर भी पड़ा है। यूरोप के सभी विषयविद्यों में बाइबिल की शिष्यालंजी के अनुसार गैड को सिद्ध करने पर ही थीसिस पर टिप्पणी मिलती थी, पुनर्जन्म के बाद धीरे-धीरे सांसारिक विद्यार्थियों पर ही थीसिस लिखे जाने लगे, किन्तु श्रौतिय से घृणा प्राप्त तक है। जिस कारण बहुत से ईसाई देशों और अमरीका के बहुत से राज्यों में आज भी श्रौतिय पर पाबन्दी है, अतः श्रौतिय को पकड़ डीते से जाने के कारण अब इस पाबन्दी को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। डीएनए के तेरह संख्यात्मक विभाग होते हैं जो तेरह प्रमुख फेनोटाइप-समूह बनाते हैं -- तेरह करण। आदर्श के लिए एक करण को लें -- "कर्म इन्डिय"। ध्वनि को सुनने और उसकी प्रोसेसिंग करके पढ़ाने वाले जैविक पुत्र "कर्म इन्डिय" नहीं है। इस व्यापक शारीरिक प्रणाली में स्थित शरीर के अदृश्य से

लेकर भौतिक के ही नहीं बल्कि धित के मनोवैज्ञानिक अदृश्य एवं जीव्य (Genes) आदि भी अपनी भूमिका निभाते हैं, परन्तु वास्तविक "कर्म इन्डिय" उन सबसे पूर्वक एक अमौलिक तत्व है जो अमर है और इसका अस्तित्व देवता एकदम रुटों में से एक है। अमौलिक "कर्म इन्डिय" में ही कान से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं (अर्थात् सम्बन्धी धमताओं, लक्षणों, खामियों और शोभों तथा संज्ञित आदि सुनने की वासनाओं) का भण्डार होता है जिसे साथ लेकर जीव नव शरीर में आता है।

सामान्य मनुष्यों में माता-पिता के शारीरिक सम्बन्ध के फलस्वरूप सन्तान पैदा होने का भ्रम ईश्वर करते हैं, किन्तु धर्मोपनिषद् युगों में यह से सीधे सन्तान उत्पन्न होने के बहुत से आख्यान मिलते हैं, जिनमें अर्जुन थे द्रौपदी और उनके माँड जो वेदकुण्ड से सीधे निकले थे। कुन्वी को भी देवताओं से पुत्र मिले थे, देवताओं के दिव्य शरीर होते हैं, भौतिक नहीं। कलियुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें वैदिक जैनेटिकस की ये धाराएँ अदृश्य हो जाती हैं। अतः अमौलिक "कर्म इन्डिय" द्वारा ही भौतिक डीएनए के अणु-सम्बन्धी समस्त संरचनाओं, उनके कार्यों, लक्षणों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण होता है। अमौलिक तत्व काल जैसे शारीरिक अणुओं के निर्माण में आवश्यक विभिन्न प्रोटीनों को बनाने में डीएनए की भूमिका पर ही बल रहा है जिस कारण डीएनए के "कर्म इन्डिय" वाले विशाल विभाग का अध्ययन लगभग नहीं के बराबर किया गया है। डीएनए के भौतिक "कर्म इन्डिय" वाले विभाग में कई हजार जीव्य हैं (जब सम्पूर्ण डीएनए के 1.1% प्रोटीन सम्बन्धी भाग में लगभग बीस हजार जीव्य हैं तो सम्पूर्ण डीएनए के तेरह करणों में से एक "कर्म" में एक-डेढ़ लाख जीव्य हो सकते हैं)। किन्तु प्रोटीन बनाने को छोड़ दे तो प्रमाण सम्बन्धी जीव्य के बारे में नगण्य जानकारी है।

डीएनए का एक भी अणु जंक नहीं है, दर्ना प्रकृति करोड़ों वर्षों से उनको बचाकर क्यों रखती ? जंक वे वैज्ञानिक हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि को जंक कर रहे हैं। तब जैनेटिकस के अध्ययन की वैदिक पद्धति कैसी लेनी चाहिए ? कैसे उन 98% से श्रौतिक अज्ञात जीव्य की पहचान हो सकती है ? कैसे "अणु" इन्डिय करती है और कैसे उससे सम्बन्धित जीव्य का पाता लगाया जा सकता है।

वज्रवराही - वाराही रहस्य साधना

पिंकी कुंडू

शक्ति के अगाध समुद्र में एक ऐसी देवी हैं, जिनका नाम स्मरण करते ही साधक की समस्त दिक्कतें, भय, बाधाएँ और शत्रु-दोष भस्म होने लगते हैं — वज्रवराही, जिन्हें तंत्रिक परंपरा में वाराही, दंडिनी, पाँचाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यह साधना अत्यंत गुप्त, तेजस्वी और सिद्धों द्वारा संरक्षित परंपरा है। वाराही वह शक्ति है जो अधर्म का दमन कर धर्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं। साधक को यदि स्थिरता, साहस, शत्रु-विनाश, धन-बल, और जीवन में त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो यह साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है।

प्रमुख मंत्र, बौद्ध मंत्र
1. ओम्-डुओ-जिए-पा-मु-सो-हा
2. ओम्-डुओ-जिए-पा-मु-ह-पेड-सो-हा
3. ओम्-नमो भगवते वराह भमे हम फट्ट हिंदू मंत्र
1. ॐ वाराही देव्यै नमः
2. ॐ श्री वराहाय नमः ॥
3. ॐ नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भू पतिव्यं देहि ददापय स्वाहा ॥

वज्रवराही-वाराही साधना विधि
1. साधना काल अमावस्या, कृष्ण पक्ष, भैरवाष्टमी या शुक्रवार की रात्रि सर्वोत्तम, रात्रि 11 बजे से 1 बजे के मध्य साधना का आरंभ उत्तम माना जाता है।
2. आसन और दिशा लाल ऊन का आसन, पूर्व या दक्षिण दिशा, साधक को शरीर को स्थिर रखकर, मन को श्वास पर नियत कर बैठना चाहिए।

3. सामाग्रियाँ
1. लाल पुष्प
2. तांबे का दीपक
3. सरसों का तेल या घी
4. लाल चंदन
5. रक्त नैवेद्य (गुड़+चावल)
6. एक छोटा तंत्रिक यंत्र या वज्रवराही/वाराही का चित्र

4. संकल्प धीरे से आंखें बंद कर देवी का आह्वान करो — रहे वज्रवराही, हे वाराही, मेरी रक्षा, मेरा तेज, मेरा मार्ग और मेरा भविष्य तुम पर सौंपता हूँ। मेरे भीतर की दुर्बलता को नष्ट कर दिव्य साहस प्रदान करो।
5. पूजन विधि
1. दीप प्रज्वलित करें
2. देवी के चरणों में जल, अक्षत, पुष्प अर्पित करें
3. लाल चंदन का तिलक करें
4. तीन बार शुद्ध प्राणायाम
6. मंत्र-जप प्रथम 11 बार बौद्ध मंत्र- ओम्-डुओ-जिए-पा-मु-सो-हा
* फिर 108 बार — ॐ वाराही देव्यै नमः
* अन्त में 21 बार — ओम्-नमो भगवते वराह भमे हम फट्ट

यह क्रम साधना को संतुलित, सुरक्षित और ऊर्जाविक्रम बनाता है।

साधना का गुड़ फल
1. शत्रु-विनाश, बाधा-नाश
2. अदृश्य भय एवं दुष्टभावों का शमन
3. धन-लाभ, अवसर प्राप्ति
4. तेज, आकर्षण, आदेश-शक्ति
5. मन



पिंकी कुंडू

साधारण लक्ष्मी-पूजन से बहुत ऊपर है अघोर गजलक्ष्मी अनुष्ठान। यह क्रम लाल-सोम्य माँ की उपासना नहीं, बल्कि प्रचंड भैरवी स्वरूपा गजलक्ष्मी की उग्र साधना है। अघोर परंपरा में धन को केवल नोटों का पुलिंदा नहीं माना जाता; धन ऊर्जा है, शक्ति है, सत्ता है। और यह ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहाँ साहस है, जहाँ अधिकार की चेतना है, जहाँ निर्णय लेने की प्रचंडता है। इस अनुष्ठान का लक्ष्य केवल धन ही नहीं है। लक्ष्य है साधक को ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करना कि जहाँ कदम पड़े, वहाँ सम्मान झुके। उसकी वाणी में वज्र हो, उसकी उपस्थिति में तेज हो, उसकी दृष्टि में आजा हो।



गजलक्ष्मी के दोनों ओर खड़े हाथी कोई सजावटी प्रतीक नहीं हैं। वे शक्ति के द्वारपाल हैं। उनके घड़े से जल नहीं, ऐश्वर्य, सिद्धि और अनुकम्पा का अमृत बरसता है। अघोर साधक जानता है — यदि देवी की कृपा केवल मुद्रा बनकर आए तो वह सीमित है, पर यदि वह ऊर्जा बनकर आए तो पूरा जीवन बदल जाता है। परिस्थितियाँ साधक के इशारे पर नाचने लगती हैं। भाग्य का पहिया उसके पक्ष में घूमने लगता है। जो व्यक्ति वर्षों से संघर्ष, परिश्रम, दुर्भाग्य और शत्रुओं के जाल में फँसा हो, जिसके पैसे धन आता हो पर टिकता न हो, जिसे अवसर दिखते हों पर फल न मिलता हो, जिसका भाग्य बार-बार टूटता हो, उसके लिए अघोर गजलक्ष्मी अनुष्ठान नया जन्म है। इस साधना से छिपे हुए दरवाजे खुलते हैं, अटक कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं, शत्रु स्वयं पीछे हटते हैं, और समाज अनायास ही साधक को स्वीकार करने लगता है। यही है "लक्ष्मी-तेज" — वह प्रचंड ऊर्जा जो सोच को स्पष्ट, व्यवहार को प्रभावशाली और निर्णय को अचूक बना देती है। अघोर साधक देवी को भय से नहीं, सम्पूर्ण समर्पण से प्राप्त करता है। वह अपने भीतर का सारा डर, सारी दुर्बलता, सारे अवरोध अग्नि में होम देता है और प्रचंड आत्मशक्ति को जन्म देता है। कई साधक यह अनुष्ठान

केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु कुल, घराने और आने वाली पीढ़ियों को उन्नति के लिए करते हैं। जहाँ अघोर गजलक्ष्मी का आवाहन होता है, वहाँ नेगेटिविटी, अभिशाप, दरिद्रता और शत्रुता टिक नहीं पाती। धन आता है, अवसर आता है, पर उससे कहीं अधिक "शक्ति" आती है।

अनुष्ठान का मूल मंत्र
ॐ श्री ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै भैरवी नमः
जप : १०८ बार (या अधिक माला)
समय : रात्रि में पूर्ण मीन के साथ सामग्री : शुद्ध घी का दीप, गजलक्ष्मी यंत्र, काले आसन पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें।
बिना गुरु आज्ञा नहीं करें।

खड़ाऊ की विशेषता

खड़ाऊ पहनना केवल परंपरा नहीं है, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास है लकड़ी प्राकृतिक ग्राउंडिंग देती है, जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और मानसिक शांति बढ़ती है। खड़ाऊ की चाल धीमी व संतुलित होती है, जिससे रीढ़ सीधी रहती है और पोस्चर सुधरता है। इसमें चलते समय पैरों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव मिलता है, जो पावन, रक्तसंचार और नसों के प्रवाह को बेहतर करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। पैरों में मीन रहने से फंगल संक्रमण नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। साधु-संत इसे संयम, सादगी और वैराग्य का प्रतीक मानते हैं। आधुनिक जीवन में भी इसे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।



आकाश को जीतने वाले दो भाई, राइट ब्रदर्स की अमर उड़ान,, यह दृढ़ निश्चय, धैर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कहानी है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ तारीखें पेसी होती हैं, जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 17 दिसंबर, 1903 ऐसा ही एक दिन था, जब दो साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण सपने रखने वाले अमेरिकी भाइयों ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने वह कर दिखाया, जिसे उस समय असंभव माना जाता था। उन्होंने दुनिया की पहली नियंत्रित, इंजन से चलने वाली, लगातार और सफल उड़ान भरी। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर वर्ष 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स दिवस मनाया जाता है। ऑरविल और विल्बर राइट अमेरिका के ओहायो राज्य के रहने वाले साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से थे। वे पेशे से साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना था, ईसान को आकाश में उड़ते देखना। बचपन में मिले एक खिलौना हेलीकॉप्टर से प्रेरित होकर उन्होंने यह कल्पना की कि यदि छोटा मॉडल उड़ सकता है, तो एक दिन ईसान भी उड़ सकता है। उन्होंने न तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई

की थी, न ही उनके पास बहुत अधिक पैसा था, लेकिन उनके पास तीन चीजें थीं जिज्ञासा, साहस और लगातार प्रयास करने की इच्छा। यही गुण उन्हें दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने तक ले गए। राइट ब्रदर्स ने उत्तर कैरोलाइना के किटी हॉक नामक स्थान पर अनेक प्रयोग किए। कई बार असफल रहे, पंख टूटे, मॉडल गिरे, गणनाएँ गलत साबित हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अखिरकार 17 दिसंबर, 1903 को उनका बनाया हुआ विमान रफ्लायरर उड़ने के लिए तैयार था। पहली उड़ान ऑरविल राइट ने भरी। यह लगभग 12 सेकंड तक हवा में रही। इस उड़ान विमान ने लगभग 120 फीट (करीब 36 मीटर) की दूरी तय की। आज के समय में यह दूरी भले ही बहुत कम लगे, लेकिन मानव इतिहास के लिए यह एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। उसी दिन उन्होंने कुल चार उड़ानें भरीं, जिनमें अखिरी उड़ान लगभग 59 सेकंड तक और करीब 260 मीटर दूर तक गई। यहीं से आधुनिक विमानन युग की नींव पड़ी। राइट ब्रदर्स दिवस मनाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, मानव की

रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का सम्मान करना। यह याद दिलाता कि सीमित संसाधन होने के बावजूद, बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति नई पीढ़ी में रुचि जगाना। उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं को सम्मान देना, जो जोखिम उठाकर मानव जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह दिवस सिर्फ विमानन के इतिहास का उत्सव नहीं है, बल्कि यह र असंभव को संभव बनाने की प्रतीक तिथि भी है। राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। पहले जो यात्राएँ हफ्तों और महीनों में होती थीं, आज कुछ घंटों में पूरी हो जाती हैं। व्यापार, पर्यटन, आपातकालीन सेवा, रक्षा, आपदा-प्रबंधन हर क्षेत्र में हवाई जहाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व आज रंगबोल विलेजर इसलिए बन सका, क्योंकि आकाश की दूरियों कम हो गईं। आज के आधुनिक जेट विमान, अंतरमहाद्वीपीय उड़ानें, कार्गो विमान, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा भी कहीं न कहीं राइट ब्रदर्स की उस पहली उड़ान की

देन है। राइट ब्रदर्स की कहानी सिर्फ हवाई जहाज की कहानी नहीं है, यह दृढ़ निश्चय, धैर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कहानी है। उनसे हम यह सीख सकते हैं, असफलता किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि अगले प्रयास की तैयारी है। किसी भी बड़े काम के लिए जिज्ञासा और प्रयोग करने की आदत जरूरी है। सीमित साधनों के बावजूद, सही सोच और सतत प्रयास से इतिहास रचा जा सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सपने देखने वाले अक्सर साधारण होते हैं, पर उनके सपने ही उन्हें असाधारण बना देते हैं। राइट ब्रदर्स दिवस हमें याद दिलाता है कि 17 दिसंबर, 1903 को मानव जाति ने पहली बार सच में आकाश को छुआ था। यह दिन केवल दो भाइयों की उपलब्धि नहीं, बल्कि समूचे मानव समाज की प्रगति का प्रतीक है। जब भी हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं, हमें उन दो साहसी भाइयों को याद करना चाहिए, जिन्होंने यह साबित किया कि अगर हिम्मत, मेहनत और विश्वास हो, तो पंख लोहे के भी उड़ान भर सकते हैं।

बरखा व ब्रोका के गीतों ने बिखेरी रंगीनियां



रंगारंग संगीतमय प्रस्तुति के साथ स्वरांश

म्यूजिकल ग्रुप का भव्य लॉन्च

सुनील धिवोलकर

रायपुर, छत्तीसगढ़। स्वरांश म्यूजिकल ग्रुप के तत्वावधान में राजधानी रायपुर स्थित मायाराम सुरजन हाल में संस्था का लॉन्चिंग कार्यक्रम भव्य एवं रंगारंग संगीतमय माहौल में हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के चुनिंदा व प्रतिष्ठित गायकों ने एक से बढ़कर एक यादगार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की उभरती गायिका भूमि सागर एवं स्वरांश म्यूजिकल ग्रुप की आयोजिका रीना मल्लिक को समर्पित रहा। कार्यक्रम का शुरुआत वंदना से हुई और रत रात तक गीत-संगीत की सरिता बहती रही।

ब्रोका की आवाज पर गूंज उठा सभागृह इस्पात नगरी भिलाई के मोहम्मद रफी के नाम से पहचाने जाने वाले सुप्रसिद्ध गायक सुखबीर सिंह ब्रोका ने जैसे ही "मेरी आवाज सुनो" गीत प्रस्तुत किया, पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं बरखा बिसेन, भूमि सागर, जाहद पाशा, डॉ. जीशान खान, पल्लवी राव, जलन सागर और पृथ्वी तांडी ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से संगीतमय रात को और भी खुशनुमा बना दिया। निदेशक व मंच संचालन को मिली सराहना

स्वरांश म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर शशांक मल्लिक ने "मैं शायर तो नहीं" गीत की प्रस्तुति देकर श्रोताओं से भरपूर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का सशक्त एवं ओजस्वी संचालन लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने किया, जिनकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में अतिरिक्त रंग भर दिया।

प्रतिभागियों व मातृशक्ति का सम्मान कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को शाल, मोमेटो एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मातृशक्ति के सम्मान स्वरूप कृष्णा लाहोटी, सुरिंदर कौर (स्वीटी ब्रोका), पदमा राव सहित चार महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

इन कलाकारों ने दी गीतों की प्रस्तुति गणेश वंदना - भूमि सागर सुखबीर सिंह ब्रोका तेरी आंखों के सिवा - बरखा बिसेन / सुखबीर ब्रोका

रूके रूके से कदम - भूमि सागर अलबेला सजन - पृथ्वी तांडी ऐ दिल तुम बिन - मनोहर ठाकुर, भूमि सागर मेरे मौला मेरे करम - पल्लवी राव खुश रहे तुमदा - सुखबीर सिंह ब्रोका नाम गुम जाएगा - भूमि सागर जाने क्यों लोग - भूमि सागर मैं शायर बदनम - शशांक मल्लिक

पुलिस की सक्रियता के बाद भी कानपुर में बेलगाम चोरी की घटनाएं, लोगों में रोष

सुनील बाजपई

कानपुर। पुलिस की लगातार कथित सक्रियता के बाद भी जिले भर में चोरी की घटनाएं बेलगाम हो चली हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जिस दिन बिभिन्न थाना क्षेत्रों में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं ना होती हों। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित नौबस्ता गोविंद नगर, चकरी, कल्याणपुर, सचेंडी, घाटमपुर, गुजैनी

आदि थाना क्षेत्र हैं। जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त रोष भी व्याप्त है।

याद रहे कि कई साल पहले घरों में आए दिन बड़ी संख्या में हो रही चोरी की वाददातों सेवा : परेशान पुलिस ने खाली घरों की रखवाली करने का भी निर्णय लिया था, जिसके तहत वह गृह स्वामी के बाहर जाने की दशा में इसकी सूचना देने के बाद उसके घर की रखवाली भी करती थी।

इसके लिए लोगों को चोरी की घटनाओं से बचने के लिए घर बंद कर बाहर जाने से पहले थाने में सूचना भी देनी होती थी जिसके आधर पर पेट्रोलिंग टीम उस घर पर विशेष निगरानी रखी जाती थी। दूसरे के साथ कड़ाके की ठंड में चोरी की घटनाओं से बचाव के लिए पुलिस ने उस समय जो योजना बनाई थी, उसके मुताबिक रात में एक से सुबह सात बजे तक गश्त पुलिसकर्मी करते थी।

जो कि लगभग अब भी की जाती है।

जबकि पहले रात में गश्त के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर 5 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम बनायी गयी थी। कुलमिलाकर लगभग दो दर्हा चोरी की घटनाएं पुलिस की नौद हाराम भी हाराम किए हैं। वह चोरों की तलाश में भी लगातार जुटी हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है।

प्राचीन मदन मोहन मन्दिर की जर्जर दीवार को संरक्षित करने की शासन-प्रशासन से मांग


परिवहन विशेष न्यूज

वृन्दावन। मदन मोहन मन्दिर के समीप स्थित राधा केलि कुंज के प्रबंधक एवं प्रख्यात रासाचार्य स्वामी कुंजबिहारी शर्मा ने प्राचीन मदन मोहन मन्दिर की जर्जर दीवार को संरक्षित करने की शासन-प्रशासन से मांग की है। स्थाय ही वर्तमान की स्थिति को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका पर चिंता जताई है।

ज्ञात हो कि नगर के अति प्राचीन व सप्त देवालियों में प्रमुख मदन मोहन मंदिर, वृन्दावन (मथुरा) की एक संरक्षित दीवार, जो राधा केलि कुंज आश्रम एवं एक समाधि मंदिर से लगी हुई है, की स्थिति अत्यंत असुरक्षित बनी हुई है। यह विषय पिछले दो दशकों से अधिक समय से लगातार शिकायतों, दीवार के गिरने तथा दोषपूर्ण मरम्मत के बावजूद अब तक पूर्ण रूप से हल नहीं हो सका है।

दिनांक 01 मई 2003 को सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग, आगरा को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया गया था कि प्राचीन मंदिर की उक्त दीवार अत्यंत जर्जर अवस्था में है तथा इसके गिरने की प्रबल संभावना है। इसके पश्चात 17 जून 2003 को पुनः स्मरण पत्र भेजा गया, किंतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, जैसा कि आशंका व्यक्त की गई थी, दिनांक 11 जुलाई 2003 को दीवार का एक भाग गिर गया जिससे समीप स्थित समाधि मंदिर, भवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंची।

इस दुर्घटना का समाचार अगले ही दिन 12



जुलाई 2003 को दैनिक जागरण समाचार पत्र के "वृन्दावन आस-पास" स्तम्भ में "मदन मोहन मंदिर की दीवार ढहनी" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जिसमें विभागीय लापरवाही का स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसी दिनांक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के समक्ष भी लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात 19 जुलाई 2003

को सभी संबंधित दस्तावेजों एवं छायाचित्रों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय, नई दिल्ली तथा संबंधित मंत्रालय को विस्तृत अभ्यावेदन भेजा गया।

हालांकि इसके बाद दीवार का पुनर्निर्माण कराया गया, परंतु वह तकनीकी दृष्टि से युटिफ पूर्ण सिद्ध हुआ। अतः दिनांक 27 जुलाई 2005 को

अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई., आगरा तथा केंद्रीय पर्यटन/संस्कृति मंत्री को पुनः शिकायत भेजी गई (जिनमें चट्टिया निर्माण, सीमेंट अनुपात की कमी, जल निकासी की व्यवस्था न होना, पानी का रिसाव तथा दीवार के समीप नियमित रूप से पौधों को पानी देने जैसी गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इसी प्रकार 30 मई 2009 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर भूमिगत पाइपलाइन से हो रहे जल रिसाव एवं दीवार के कमजोर होने की चेतावनी दी गई। बावजूद इसके यह समस्या बनी रही। अप्रैल 2022 में सुनील कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आई.एस.ए. अधिकारी) द्वारा भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई। जिसमें 11 जुलाई 2003 को दीवार गिरने की घटना का उल्लेख करते हुए वर्तमान में भी दरारों, सीवेज एवं उपेक्षा के कारण दीवार के पुनः गिरने की आशंका व्यक्त की गई।

उन्होंने बताया कि मन्दिर की दीवार की वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर है। दिनांक 13 दिसंबर 2025 को लिया गया संलग्न छायाचित्र दीवार में पड़ी गहरी लंबवत संरचनात्मक दरार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है (जिससे चिनाई के अलग-अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और किसी भी समय पुनः घट्टना घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह दीवार समाधि मंदिर एवं लोगों की आवाजाही वाले क्षेत्र के समीप स्थित है जिससे जन-सुरक्षा, धार्मिक धरोहर तथा संरक्षित स्मारक को गंभीर खतरा है।

मनरेगा बनाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जी रामजी) बिल (ग्रामीण)- अधिकार आधारित कानून से मिशन-आधारित मॉडल तक की यात्रा

मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जबकि वीबी-जी रामजी बिल को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि मिशन मॉडल में लागू होने वाली योजना बन सकती है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था दशकों से संरचनात्मक चुनौतियों, बेरोजगारी अस्थायी आजीविका और कृषि-आधारित रोजगार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। वर्ष 2005 में लागू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इन चुनौतियों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप था, जिसने पहली बार ग्रामीण नागरिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया। अब संसद में पेश किया गया 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) बिल' न केवल इस कानून को समाप्त करेगा, बल्कि ग्रामीण रोजगार की अवधारणा को एक नए वैधानिक ढांचे में पुनर्स्थापित करने का दावा करता है। यही कारण है कि यह विधेयक नीतिगत से अधिक राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता है कि यह विधेयक केवल एक दृष्टिकोण से देखे जाते हैं, मनरेगा ने अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 39 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) की भावना को व्यावहारिक रूप दिया था। यदि नया कानून अधिकार आधारित नहीं रहता, तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह संविधान की सामाजिक न्याय की भावना से पीछे हटना है। यह मुद्दा भविष्य में न्यायिक समीक्षा का विषय भी बन सकता है।

साथियों बात अगर हम वीबी-जी रामजी बिल क्या है, एक नया कानूनी ढांचा इसको समझने की करें तो, वीबी-जी रामजी बिल का पूरा नाम विकसित

भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल है। सरकार के अनुसार यह कानून विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को केवल अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका, कौशल - आधारित रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाना है। इस बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की वार्षिक आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है। मनरेगा को समाप्त कर नया कानून ऐतिहासिक बदलाव, यह बिल संसद में प्रस्तुत होते ही इच्छित विवादों में आ गया क्योंकि यह 2005 के मनरेगा अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर देता है। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और अधिकार आधारित कानून के रूप में स्थापित रहा है। इसमें काम का अधिकार, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, और पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान शामिल थे। वीबी-जी रामजी बिल इन प्रावधानों को किस हद तक बनाए रखता है या बदलता है, यही वर्तमान बहस का केंद्र है। गारंटी वाले कार्यदिवस-100 से 125 दिनों का प्रस्ताव, सरकार का कहना है कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी ग्रामीण परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहाँ कृषि मौसम पर निर्भरता अधिक है और गैर-कृषि रोजगार के अक्सर सीमित हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि दिनों की संख्या बढ़ाना तभी सार्थक होगा जब भूतत्पान समय पर हो, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और बजटीय आवंटन पर्याप्त हो। राज्यों पर बड़े-गाने बड़े-वीबी-जी रामजी

बिल का एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव यह है कि इसमें राज्य सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। मनरेगा में केंद्र सरकार की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि नए बिल में राज्यों से अधिक खर्च की अपेक्षा की जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर उन राज्यों में जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है। रोजगार से आजीविका की ओर नीति का झुकाव-सरकार का दावा है कि यह बिल केवल 'काम उपलब्ध कराने' तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधनों को विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई संरक्षित लाइवलीहुड अप्रोच से मेल खाता है।

साथियों बात अगर हम मनरेगा बनाम वीबी-जी रामजी, मूलभूत अंतर को समझने की करें तो, मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जिसमें 'काम मांगने' का अधिकार स्पष्ट था। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण से हटकर मिशन मॉडल में लागू होने वाली योजना बन सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो ग्रामीण श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा कमजोर हो सकती है। काम का स्वप्न-अकुशल श्रम से आजीविका तक मनरेगा मुख्यतः अकुशल श्रम पर केंद्रित रहा है, जैसे जल संरक्षण सड़क निर्माण, तालाब खुदाई आदि। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल का दावा है कि वह रोजगार से आगे बढ़कर आजीविका पर ध्यान देगा। इसमें कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को शामिल करने की बात कही गई है। यह बदलाव सैद्धांतिक रूप से सकारात्मक है, लेकिन नए तभी सफल होगा जब जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय संरचना-केंद्र बनाम राज्य मनरेगा में वित्तीय भार का बड़ा हिस्सा में केंद्र सरकार की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक थी,

जबकि नए बिल में राज्यों से अधिक खर्च की अपेक्षा की जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर उन राज्यों में जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है। रोजगार से आजीविका की ओर नीति का झुकाव-सरकार का दावा है कि यह बिल केवल 'काम उपलब्ध कराने' तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधनों को विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई संरक्षित लाइवलीहुड अप्रोच से मेल खाता है।

साथियों बात अगर हम मनरेगा बनाम वीबी-जी रामजी, मूलभूत अंतर को समझने की करें तो, मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जिसमें 'काम मांगने' का अधिकार स्पष्ट था। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण से हटकर मिशन मॉडल में लागू होने वाली योजना बन सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो ग्रामीण श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा कमजोर हो सकती है। काम का स्वप्न-अकुशल श्रम से आजीविका तक मनरेगा मुख्यतः अकुशल श्रम पर केंद्रित रहा है, जैसे जल संरक्षण सड़क निर्माण, तालाब खुदाई आदि। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल का दावा है कि वह रोजगार से आगे बढ़कर आजीविका पर ध्यान देगा। इसमें कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को शामिल करने की बात कही गई है। यह बदलाव सैद्धांतिक रूप से सकारात्मक है, लेकिन नए तभी सफल होगा जब जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय संरचना-केंद्र बनाम राज्य मनरेगा में वित्तीय भार का बड़ा हिस्सा में केंद्र सरकार की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक थी,



मिलती थी। नए बिल में राज्य सरकारों की वित्तीय

हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर राज्यों में जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है। रोजगार से आजीविका की ओर नीति का झुकाव-सरकार का दावा है कि यह बिल केवल 'काम उपलब्ध कराने' तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधनों को विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई संरक्षित लाइवलीहुड अप्रोच से मेल खाता है।

साथियों बात अगर हम महात्मा गांधी का नाम हटाना-प्रतीकात्मक या वैचारिक निर्णय? इसको समझने की करें तो, विधेयक को लेकर सबसे तीखी राजनीतिक

प्रतिक्रिया महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर आई है। विपक्ष का तर्क है कि गांधी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि नाम बदलने से जमीनी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और इससे सरकारी धन का अनावश्यक खर्च क्यों किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का बयान, विपक्ष की चिंता का स्वर, प्रियंका गांधी ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान का प्रतीक है। उनका कहना है कि जब योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, तो सरकारी दफ्तरों, दस्तावेजों और स्टेशनरी में बदलाव पर भारी खर्च आता है, जिसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिलता। उन्होंने इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। विपक्ष की आशंकाएँ- अधिकार कमजोर होने का डर-विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मनरेगा को खत्म करना गरीबों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। उनका कहना है कि यदि नया कानून अधिकार आधारित न होकर योजना आधारित हुआ, तो भविष्य में सरकारें इसे आसानी से बदल या सीमित कर सकती हैं। संसदीय बहस और संभावित हंगामा-इन तमाम मुद्दों के चलते संसद में इस बिल पर हंगामेदार बहस की

प्रतिक्रिया महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर आई है। विपक्ष का तर्क है कि गांधी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि नाम बदलने से जमीनी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और इससे सरकारी धन का अनावश्यक खर्च क्यों किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का बयान, विपक्ष की चिंता का स्वर, प्रियंका गांधी ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान का प्रतीक है। उनका कहना है कि जब योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, तो सरकारी दफ्तरों, दस्तावेजों और स्टेशनरी में बदलाव पर भारी खर्च आता है, जिसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिलता। उन्होंने इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। विपक्ष की आशंकाएँ- अधिकार कमजोर होने का डर-विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मनरेगा को खत्म करना गरीबों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। उनका कहना है कि यदि नया कानून अधिकार आधारित न होकर योजना आधारित हुआ, तो भविष्य में सरकारें इसे आसानी से बदल या सीमित कर सकती हैं। संसदीय बहस और संभावित हंगामा-इन तमाम मुद्दों के चलते संसद में इस बिल पर हंगामेदार बहस की

संभावना जताई जा रही है। यह बहस केवल रोजगार-नीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संविधान, संघीय ढांचा, सामाजिक न्याय और गांधीवादी मूल्यों तक जाएगी।

साथियों बात अगर सरकार का पक्ष, नई गति और विकसित भारत का लक्ष्य इसको समझने की करें तो, केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण भारत को 'नई गति' देगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार के अनुसार, मनरेगा की सीमाओं को पहचानते हुए यह नया कानून अधिक आधुनिक, परिणाम-उन्मुख और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करेगा।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य - रोजगार गारंटी की वैश्विक प्रासंगिकता इसको समझने की करें तो विश्व स्तर पर रोजगार गारंटी जैसे कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। भारत का यह नया प्रयोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में भी रहेगा कि क्या यह अधिकार आधारित मॉडल से हटकर भी समाज या बेहतर परिणाम दे सकता है। दुनिया के कई देशों में रोजगार गारंटी या सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम लागू हैं, लेकिन भारत का मनरेगा मॉडल अधिकार आधारित होने के कारण विशिष्ट रहा है। वीबी-जी रामजी बिल यदि अधिकार से हटकर मिशन मॉडल अपनाता है, तो भारत एक अलग वैश्विक प्रयोग की ओर बढ़ेगा, जिसकी सफलता या विफलता पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूर्व विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुधार यापुनर्स्थापना 3, वीबी-जी रामजी बिल निसंदेह ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह सवाल अभी खुला है कि क्या यह बदलाव ग्रामीण गरीबों के जीवन में वास्तविक सुधार लाएगा या यह केवल एक वैचारिक और प्रतीकात्मक पुनर्स्थापना बनकर रह जाएगा। इसका उत्तर

कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने विशेष अभियान के दौरान 53 चोरी हुए वाहन बरामद किए

अमृतसर, 16 दिसंबर (साहिल बेरी)

कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए गए एक केंद्रित विशेष अभियान के तहत तीनों जोनों में कुल 53 चोरी हुए वाहन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, आईपीएस, पुलिस कमिश्नर अमृतसर के निर्देशों तथा श्री आलम विजय सिंह, डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) और श्री जगजीत सिंह वालिया, डीसीपी सिटी अमृतसर के मार्गदर्शन में की गई। अभियान की निगरानी संबंधित क्षेत्रों में एडीसीपी और एसीपी द्वारा की गई।

जोन-1 (कुल 7 एफआईआर | 21 वाहन)

1. थाना सी-डिवीजन, अमृतसर
FIR नं. 144 दिनांक 30-11-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS
बरामदगी: 6 एफआईआर, 1 मोटरसाइकिल
FIR नं. 147 दिनांक 02-11-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
FIR नं. 149 दिनांक 06-11-2025 धारा 303(3), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
FIR नं. 344 दिनांक 02-11-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 मोटरसाइकिल

3. थाना गेट हकीमा
FIR नं. 299 दिनांक 29-10-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 7 एफआईआर, 2 मोटरसाइकिल

4. थाना डी-डिवीजन
FIR नं. 99 दिनांक 12-11-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 मोटरसाइकिल

5. थाना ई-डिवीजन
FIR नं. 100 दिनांक 14-11-2025 धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
जोन-2 (कुल 4 एफआईआर | 5 वाहन)

6. थाना सिविल लाइंस
FIR नं. 203 दिनांक 11-11-2025 धारा 303(2), 317(2), 341(2) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
FIR नं. 197 दिनांक 05-11-2025 धारा 303(2) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर, 1 मोटरसाइकिल
FIR नं. 208 दिनांक 17-11-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
7. पुलिस छावनी
FIR नं. 235 दिनांक 09-11-2025 धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS

बरामदगी: 1 कार
जोन-3 (कुल 9 एफआईआर | 27 वाहन)

8. थाना ए-डिवीजन
FIR नं. 175 दिनांक 18-10-2025 धारा 304(2), 3(5), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 मोटरसाइकिल
FIR नं. 184 दिनांक 30-10-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 मोटरसाइकिल
9. थाना बी-डिवीजन
FIR नं. 149 दिनांक 18-07-2025 धारा 304(3), 3(5) BNS

बरामदगी: 2 मोटरसाइकिल, 1 एफआईआर
FIR नं. 251 दिनांक 29-10-2025 धारा 281, 106, 324(4), 125(a), 125(b) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर, 1 ट्रक
FIR नं. 254 दिनांक 30-10-2025 धारा 281, 324(4) BNS

बरामदगी: 1 कार, 1 ट्रक
FIR नं. 255 दिनांक 31-10-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 स्कूटर, 2 मोटरसाइकिल
FIR नं. 287/25 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 7 मोटरसाइकिल, 1 एफआईआर
10. थाना मकबूलपुरा
FIR नं. 234 दिनांक 22-10-2025 धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
11. थाना वल्ला
FIR नं. 261 दिनांक 16-11-2025 धारा 303(2) BNS (थाना मकबूलपुरा)

बरामदगी: 3 मोटरसाइकिल, 3 एफआईआर

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन



FIR नं. 254 दिनांक 30-10-2025 धारा 281, 324(4) BNS

बरामदगी: 1 कार, 1 ट्रक
FIR नं. 255 दिनांक 31-10-2025 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 1 स्कूटर, 2 मोटरसाइकिल
FIR नं. 287/25 धारा 303(2), 317(2) BNS

बरामदगी: 7 मोटरसाइकिल, 1 एफआईआर
10. थाना मकबूलपुरा
FIR नं. 234 दिनांक 22-10-2025 धारा 303(2), 317(2), 3(5) BNS

बरामदगी: 1 एफआईआर
11. थाना वल्ला
FIR नं. 261 दिनांक 16-11-2025 धारा 303(2) BNS (थाना मकबूलपुरा)

बरामदगी: 3 मोटरसाइकिल, 3 एफआईआर

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

कुल विवरण
कुल मुकदमे: 20
कुल बरामद वाहन: 53
ब्रेकअप:
26 एफआईआर
22 मोटरसाइकिल
2 कारें
2 ट्रक
1 स्कूटर
कुल: 53 वाहन

एनसीपी ओडिशा अध्यक्ष डॉ. राज कुमार यादव की पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा से शिष्टाचार भेंट

सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर सार्थक विचार-विमर्श

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) - अजित पवार गुट) के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राज कुमार यादव ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के संस्थापक माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गहन और सार्थक चर्चा हुई।

भेंट के दौरान डॉ. यादव ने श्री देवेगौड़ा के समृद्ध राजनीतिक अनुभव, सिद्धांतनिष्ठ नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन सादगी, संघर्ष और जनहित को समर्पित रहा है, जो आज की राजनीति के लिए आदर्श है।

मुलाकात में दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों, संघीय ढांचे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, किसानों, दलितों, आदिवासियों और मजदूर वर्ग की समस्याओं, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। विशेष रूप से ओडिशा के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, ग्रामीण सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के अधिकारों पर भी चर्चा हुई।

डॉ. यादव ने बताया कि यह संवाद उनके लिए वैचारिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहा और इससे भविष्य की



राजनीतिक रणनीतियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने श्री देवेगौड़ा को ओडिशा में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार करने का आश्वासन दिया। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में भी एक सार्थक पहल मानी जा रही है।



कब्र खोदने तुले हैं...!

जाने किस-किसकी कब्र खोदने पर तुले हैं, सत्ता के लिए ही तो सब एक साथ मिले हैं। सबको टोपियां पहनाकर हाथ हिला रहे हैं, साथी को गिराने जल में डुबकी लगा रहे हैं।

अपराधों की इनके पास भरीपूरी खदान है, लोग कह रहे थे यह तो सबसे बड़े नादान है। सफ़ेद शांति के रंग में सबका ही परिधान है, ये देश के अच्छे कामों में डालते व्यवधान है।

कभी-कभी जन इनके चक्कर में आ जाते हैं, जब होते हैं सावधान! तब टक्कर दे जाते हैं। यह बोलते हैं तब 'बज' भी जाती हैं तालियां, लोग पूछते हैं सवाल खड़े करते हैं ये बवाल।



संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्डौर-452011 (मध्य प्रदेश)
मो. 98260 25986

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने 'आप' कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात : शहर के प्रोजेक्टों को लेकर हुई बातचीत

अमृतसर, 16 दिसंबर (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमृतसर शहर के चल रहे विकास प्रोजेक्ट और आने वाले दिनों में शुरू होने वाले विकास के बड़े प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने बताया कि पहले की तरह कुछ समय बाद वह अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुलाकात करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अमृतसर शहर और

विशेषकर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से संबंधित आ रही बड़ी समस्याओं के बारे में बताकर उनका हल भी निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात दौरान अमृतसर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो समस्या रह गई है, उस बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। सफाई व्यवस्था पहले से तो ठीक हो रही है। आने वाले एक महीने के भीतर शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी महीने में शहर की किसी भी सड़क पर कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि सीवरेज व्यवस्था को लेकर खापड़ खेड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वॉल्टेज सिटी में सफाई, सुरक्षा, विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। आने वाले दिनों में वॉल्टेज सिटी के लिए विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात बहुत ही बढ़िया रही।



22 दिसंबर तक जिले में चलेगा विशेष टीकाकरण सप्ताह

अमृतसर, 16 दिसंबर (साहिल बेरी)

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह तथा सिविल सर्जन डॉ. सतिंदरजीत सिंह बजाज के दिशा-निर्देशों के तहत सहायक सिविल सर्जन डॉ. रजिंदरपाल कौर की अगुवाई में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रश्मी विज द्वारा जिले के सभी ब्लॉकों में विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 15 से 22 दिसंबर तक विशेष टीकाकरण सप्ताह के तहत विभिन्न गांवों में टीकाकरण सत्र आयोजित कर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष टीकाकरण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी टीकाकरण से वंचित न रह जाए।

इस विशेष टीकाकरण सप्ताह के दौरान जिले भर के सभी स्लम क्षेत्रों, झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों तथा भूटों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉकों के सीनियर मेडिकल अधिकारी इन कैंपों का निरीक्षण करेंगे, ताकि टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को 100 प्रतिशत हासिल किया जा सके।

इस अवसर पर जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह ने कहा कि इस विशेष टीकाकरण सप्ताह के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि टीकाकरण से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।



उत्तराखंड के नौले: पत्थरों में बसी जल-संस्कृति की जीवित विरासत

परिवहन विशेष न्यूज

नौला सिर्फ एक जल-स्रोत नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और सामुदायिक चेतना का प्रतीक रहा है। लघु मंदिरों जैसी ये प्राचीन संरचनाएँ सदियों से पहाड़ों से रिसकर आने वाले शुद्ध जल को एकत्र करती आई हैं। सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण समाज के लिए नौला पीने के पानी का साधन ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की रीढ़ रहा है। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, देवी-

देवताओं की मूर्तियाँ और चारछतरी मंदिरनुमा स्थापत्य नौले यह दर्शाते हैं कि पहाड़ के समाज ने जल को हमेशा जीवनदाता और पवित्र तत्व के रूप में देखा। कुमाऊँ क्षेत्र में कालुरी और चंद्रराज वंशों के समय बने अनेक नौले आज भी उपयोग में हैं। अल्मोड़ा का स्युनराकोट नौला, गंगोलीहाट का हाट कालिका के पास स्थित नौला, बागेश्वर का गढ़ेश्वर नौला या बालेश्वर नौला — ये सभी जल, इतिहास और संस्कृति के मौन साक्षी हैं।

नौलों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उनका निर्माण स्थानीय भूगोल, जलवायु और जल विज्ञान की गहरी समझ के साथ किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी समुदाय ने इनका संरक्षण किया, क्योंकि पानी की सुरक्षा उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दायित्व माना। नौलों से जुड़ी मान्यताएँ, जैसे साँप की रक्षा-कथा या भगवान विष्णु की नक्काशी, इस बात को रेखांकित करती हैं कि जल को अपवित्र होने से बचाना सामूहिक जिम्मेदारी थी।

आज आधुनिक पाइपलाइन प्रणालियाँ, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और शहरीकरण ने इन नौलों को हाशिए पर धकेल दिया है। कई नौले उपेक्षा के कारण झाड़ियों और वनस्पतियों में गुम हो गए हैं। फिर भी उम्मीद बाकी है। स्थानीय समुदायों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं जैसे नौला फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार प्रयास यह याद दिलाते हैं कि विकास का अर्थ अपनी जड़ों से कटना नहीं है।

नौलों का संरक्षण केवल पत्थर की इमारतों को बचाना नहीं, बल्कि उस ज्ञान, आस्था और सामूहिक जिम्मेदारी को सहेजना है, जिसने पहाड़ों को सदियों तक पानी और जीवन दिया। अगर हम आज इन नौलों को समझे, अपनाएँ और बचाएँ, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी जान सकेंगी कि हिमालय ने पानी को कैसे पूजा और कैसे सहेजा।

सत्यम मिश्रा
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड

